भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, "खनिज भवन"
भोपालपानी, देहरादून

संख्याः 2955 / CHMP_12 / उ0ख0(ईनि)–V / भू0खनि0नि0 / 2026–27 **दिनांकः 23.11.2026**

ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु पुर्ननिविदा (Re-Tender) आमंत्रण प्रपत्र

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना सख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 के अध्याय–4 के नियम–20 (1), (2) एवं (4) में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 7747 / उ0ख0(ईनि)–V / वि0का0ज्ञ0 / भू0खनि0नि0 / 2025–26, दिनांक 27 मार्च, 2025 के द्वारा विज्ञापित किये जाने की प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या **2632 / उ0ख0(ईनि)–V / भू0खनि0नि0 / 2026–27, दिनांक 29.10.2026** के द्वारा **जनपद व तहसील चम्पावत के ग्राम दुधौरी, लधिया नदी के क्षेत्रान्तर्गत 10(1), श्रेणी 9(3)ड, खसरा संख्या 3925 रकवा 1.791 है0, खसरा संख्या 3981, रकवा 3.012 है0, कुल रकवा 4.803 है0 मध्ये 2.338 है0 राजस्व उपखनिज क्षेत्र की आठ बार निविदा आमंत्रित की गयी** तथा उक्त क्षेत्र की निविदा को अपरिहार्य कारणों से निदेशालय के पत्र 2932 / उ0ख0(ईनि)–V / भू0खनि0नि0 निदेशा0 / 2026–27, दिनांक 21.11.2026 के द्वारा निरस्त करते हुए पुनः उक्त क्षेत्र को नियमावली के नियम–20(2) के प्रावधानानुसार राज्य के मूल निवासी / निवासियों की समितियों / फर्म / कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी (E-Tender cum E-Auction) के माध्यम से आवंटन के लिए **नौवीं बार** तकनीकी निविदा (Technical bid) एवं वित्तीय निविदा (Financial Bid) इच्छुक बोलीदाताओं से Online आमंत्रित की जाती है।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	दिनांक 24.11.2026 (मंगलवार)
uktenders.gov.in पर निविदा अपलोड की तिथि	दिनांक 25.11.2026 (बुधवार)
uktenders.gov.in से निविदा डाउनलोड / बिक्री आरम्भ करने की तिथि	दिनांक 25.11.2026 (बुधवार)
ऑनलाइन ई–निविदा जमा करने हेतु आरम्भ तिथि	दिनांक 26.11.2026 (बृहस्पतिवार) को प्रातः 10.00 बजे से
ऑनलाइन ई–निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक 01.12.2026 (मंगलवार) को सांय 5.00 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने तथा ई–निविदा के परीक्षण / मूल्याकंन आरम्भ किये जाने की तिथि एंव समय	दिनांक 02.12.2026 (बुधवार) पूर्वाह्न 12.00 बजे से
समिति द्वारा तकनीकी निविदा के परीक्षण / मूल्यांकन के उपरान्त सफल निविदादाताओं की सूची वैबसाइट www.uktenders.gov.in में अपलोड करते हुये वित्तीय निविदा खोलने की तिथि एवं समय की घोषणा की जायेगी एवं तदनुसार परिणाम उक्त वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।	

समस्त प्रतिभागी निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि निविदित खनन लॉट एवं निविदा की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण तकनीकी निविदा (Technical Bid) तथा वित्तीय निविदा (Financial Bid) प्रपत्र में किया गया है। उक्त निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यदिवस में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, रायपुर–थानो रोड़, भोपालपानी, देहरादून से तथा राज्य सरकार की वेबसाईट uktenders.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट dgm.uk.gov.inसे डाउनलोड कर भी प्राप्त किया जा सकता है, जिस हेतु रू0 20,000.00 (रू0 बीस हजार मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक 0853–00–800–01–01 में + उक्त धनराशि का 18% GST का डिमाण्ड ड्राफ्ट **निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय** के पक्ष में पृथक से जमा कराते हुए जमा चालान एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व मूल में निदेशालय में जमा कराई जानी आवश्यक होगी। निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने हेतु जमा चालान एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति तकनीकी निविदा (Technical Bid)के साथ भी अपलोड की जानी आवश्यक होगी। सभी निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि उक्तानुसार निविदा प्रपत्र प्राप्त कर उसका भली भांति अध्ययन करने के उपरान्त ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। अस्पष्ट एवं अपूर्ण निविदा प्रपत्रों / आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट– जिन प्रतिभागी निविदाताओं के द्वारा पूर्व में उक्त निविदित लॉट की ई–निविदा में प्रतिभाग किया गया है तथा उक्त लॉट हेतु जो आवेदन शुल्क, निविदा प्रपत्र शुल्क, 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 जमा किया गया, को पुनः उक्त लॉट हेतु प्रयुक्त किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क (रू0 एक लाख) को किसी दूसरे लॉट में प्रयुक्त किये जाने पर ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उक्तानुसार निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

(राजपाल लेघा)
निदेशक

सारिणी

ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रारूप के भाग	ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रारूप के भाग का विषय	पृष्ठ संख्या
भाग–1	निविदादाता हेतु सामान्य दिशा–निर्देश	3 से 5
भाग–2	ई–निविदा सह ई–नीलामी की तकनीकी विशिष्टतायें, शर्तें एवं प्रतिबन्ध	6 से 15
भाग–3	उपखनिजों के चुगान/खनन हेतु तकनीकी निविदा हेतु प्रपत्र का प्रारूप	16 से 18
भाग–4	उपखनिजों के चुगान/खनन हेतु वित्तीय निविदा का प्रारूप	19
भाग–5	ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु वचनबद्धता का प्रपत्र	20

भाग–1:

निविदादाता हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

1. उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 के अध्याय–4 के नियम–20(1) के अनुसार महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे नदीतल राजस्व/वन भूमि में अवस्थित उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर, आर0बी0एम0 जिसे या जिन्हे नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलामी या ई–निविदा/ई–नीलामी पट्टे पर दिया जा सकेगा की घोषणा कर सकेगी। उक्त के क्रम में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 7747/उ0ख0(ईनि)–V/वि0का0ज्ञ0/ भू0खनि0नि0/ 2025–26, दिनांक 27 मार्च, 2025 के द्वारा विज्ञापित किये जाने की घोषणा की गयी है।
2. उक्त नियमावली के अध्याय–4 के नियम–20(2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल अवस्थित 05 है0 क्षेत्रफल तक के उपखनिजों के चुगान/खनन पट्टा 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना पट्टाविलेख निष्पादन के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी। नदीतल स्थित राजस्व/वन भूमि के 5.0 है0 तक के खनन पट्टे राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों एवं 5.0 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे भारत के नागरिक/नागरिकों की संमितियों/फर्म/कम्पनियों को स्वीकृत किये जायेंगे।
3. समस्त निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे निविदित खनन लॉट का भली–भांति स्वयं निरीक्षण कर लें तथा निविदित खनन लॉट की वस्तु स्थिति, उपखनिज की मात्रा एवं निकासी मार्ग आदि के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर, आश्वस्त होने के उपरान्त ही निविदा की कार्यवाही में प्रतिभाग करें। निविदा में प्रतिभाग करने के उपरान्त कभी भी यदि निविदित खनन लॉट के सम्बन्ध में किसी प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइया उत्पन्न होती है तो इस हेतु निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
4. राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल राजस्व/वन भूमि में नियम–20(1) के अधीन चिन्हित/विज्ञापित उपखनिज लॉटों 5.0 है0 तक के खनन पट्टे राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों एवं 5.0 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे भारत के नागरिक/नागरिकों की संमितियों/फर्म/कम्पनियों को परिहार पर स्वीकृत करने की प्रक्रिया ऑनलाइन ई–नीलामी के मध्यम से तकनीकी निविदा (Technical Bid) एवं वित्तीय निविदा (Financial Bid)पर आधारित होगी, जिसमें तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा की कार्यवाही uktenders.gov.inपर की जायेगी।
5. ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु uktenders.gov.inमें पंजीकरण प्रक्रिया सम्पन्न करने एवं सम्प्रेषित समस्त सूचनाओं की जिम्मेदारी इच्छुक निविदादाता/बोलीदाता की होगी। विभाग तथा सहायक एजेन्सी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगें।
6. ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु uktenders.gov.in पर पंजीकरण करते समय इच्छुक निविदादाता (5.0 है0 तक के खनन लॉट हेतु) राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों एवं (5.0 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन लॉट हेतु) भारत के नागरिक/नागरिकों की संमितियों/फर्म/कम्पनियों द्वारा विडर्स (Bidders)का नाम/फर्म वाले फील्ड में स्थायी निवास/स्थायी निवासियों की समिति, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कम्पनी एक्ट अथवा पार्टनरशिप एक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हो, (जैसी स्थिति हो) के नाम, शुद्धता एवं सावधानीपूर्वक अंकित किया जाना आवश्यक होगा। गलत अथवा त्रुटिपूर्ण अंकन से निविदा निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
7. इच्छुक निविदादाता/बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसके कम्प्यूटर में ''जावा'' (JRE) साफ्टवेयर का वैध वर्जन आवश्यक रूप से लोड हो। वैध वर्जन uktenders.gov.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
8. इच्छुक आवेदकों के लिये ऑनलाईन बिड/बोली हेतु डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। प्रत्येक प्रतिभागी बोलीदाता अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होगा।
9. समस्त प्रतिभागी निविदादाता ई–निविदा सह ई–नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व इन्टरनेट कनेक्टिविटी तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। तकनीकी एंव वित्तीय निविदा जमा करते समय यदि इन्टरनेट नेटवर्क कनेक्टिविटी अथवा अन्य किसी कारण से निविदा अपलोड/जमा नही होती है तो, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा तथा इसका निविदा की कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।

10. निविदित खनन लॉट के लिए आधार मूल्य (Base Price) = उपखनिज की मात्रा (टन में) x रायल्टी दर प्रति टन, होगा तथा आधार मूल्य के 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि, धरोहर धनराशि (Earnest Money) होगी।
11. निविदादाता द्वारा अपने Digital Signature Certificate (DSC) की सहायता से निविदित खनन लॉट की तकनीकी निविदा समस्त अभिलेखों सहित निविदादाता/अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर के साथ PDF Format में तैयार कर www.uktenders.gov.in अपलोड की जायेगी।
12. निविदादाता द्वारा www.uktenders.gov.in से वित्तीय निवादा का प्रारूप BOQ (Excel Format) डाउनलोड किया जायेगा। निविदा के निर्धारित प्रारूप BOQ में निविदादाता द्वारा संशोधन/प्रतिस्थापन नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कॉलम भरने के बाद www.uktenders.gov.in पर अपलोड किया जायेगा, अन्यथा निविदादाता वित्तीय निविदा के अस्वीकार किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा। BOQ में निविदादाताओं को केवल निविदादाता का नाम और मूल्य दर्ज करने की अनुमति होगी।
13. वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एंव सफल बोलीदाओं (H1से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा कें सफल बोलीदाताओं में एच–1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money)की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money)के रूप में पन्द्रह कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0–1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी (Earnest Money) की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध उक्त नियमावली के नियम–23(2) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच–2 बोलीदाता को एच–1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Money) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money)के रूप में पन्द्रह कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटिक्रम में H3 तक अपनाई जायेगी। H3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई–नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई–नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।
14. निविदा प्रपत्र के भाग–3 तकनीकी निविदा चैक लिस्ट में अपेक्षित समस्त अभिलेख निविदादाता के द्वारा स्वहस्ताक्षरित होने अनिवार्य है, फर्म/कम्पनी/सोसाइटी/समिति के मामले में निविदा प्रपत्र के उक्त अभिलेखों पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मोहर सहित होने अनिवार्य है, इस हेतु व्यक्ति/फर्म के भागीदार/कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/सोसाइटी के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/समिति के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/सचिव के द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। तकनीकी निविदा में वांछित अभिलेखों की जांच के उपरान्त, अभिलेखों के पूर्ण पाये जाने पर सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा (Financial Bid) खोली जायेगी। अस्पष्ट एवं अपूर्ण अभिलेखीय निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
15. ई–नीलामी की प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख इस निविदा प्रपत्र में वर्णित किया जाना रह गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो अथवा ऐसा समसामयिक प्रकरण जो खनिज विकास एंव राजस्वहित में आवश्यक हो, ऐसे प्रकरणों पर महानिदेशक/निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत है तथा उनके द्वारा तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों/अनुदेशों का अनुसरण कर व्याख्यापित करते हुए निर्णय दिया जा सकेगा, महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा एंव सर्व पक्षों को मान्य होगा।
16. निविदित क्षेत्र में खनन/चुगान कार्य मैनुअल विधि से किया जाना है, के दृष्टिगत निविदादाता निविदित क्षेत्र से खनन/चुगान हेतु श्रमशक्ति की स्वयं पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, श्रमशक्ति के अभाव में खनन/चुगान कार्य प्रभावित नही माना जायेगा।
17. निविदादाता निजी व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी के द्वारा विगत 03 वर्षों की आई0टी0आर0 की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

18. निविदित क्षेत्र से खनिज की वार्षिक निर्धारित मात्रा की पूर्ण निकासी न होने पर अवशेष निकासी की मात्रा को अग्रेत्तर खनन वर्ष में समायोजित नही किया जायेगा तथा निविदादाता के द्वारा उक्त वर्ष की सम्पूर्ण पट्टाधनरशि जमा की जायेगी।
19. निविदा की समस्त कार्यवाही (प्री–बिड, तकनीकी निविदा एंव वित्तीय निविदा) निर्धारित तिथियों में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, भोपालपानी देहरादून में सम्पन्न की जायेगी जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिभाग कर सकता है।
20. इस ई–निविदा सह ई–नीलामी के संबंध में स्वयं पक्ष पुष्ट किये जाने हेतु प्रचार, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सख्ती से प्रतिबंधित है और निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाएं रद्द करने के लिए उत्तरदायी होंगी।
21. ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत सफल बोलीदाता के पक्ष में आशय पत्र स्वीकृति के उपरान्त खनन लॉट के सीमांकन के दौरान यदि क्षेत्रफल में कोई परिर्वतन होता है तो उक्तानुसार ही मात्रा का पुनः निर्धारण करते हुए ई–निविदा में प्राप्त उच्चतम मूल्य के आधार पर वार्षिक पट्टाधनराशि निर्धारित की जायेगी जो सफल बोलीदाता/आशयपत्रधारक को मान्य होगी।
22. प्रत्येक बोलीदाता (Bidder) केवल एक ही निविदा प्रस्तुत करेगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो, या एक मालिक (proprietor) के रूप में, या साझेदारी फर्म में भागीदार के रूप में, या कंपनी/एलएलपी (LLP) में निदेशक के रूप में हो। एक बोलीदाता (Bidder), जिसमें उसकी सिस्टर/संबंधित/संबद्ध चिंताएं (sister/associated/allied concerns) शामिल हैं, को अलग–अलग संस्थाओं के माध्यम से एक ही निविदा (tender) में भाग लेने की अनुमति नही होगी। यदि कोई बोलीदाता (partner/JV member या sub-contractor के रूप में) एक से अधिक बोलियों में शामिल पाया जाता है, तो ऐसी सभी निविदाऐं निरस्त (disqualified) कर दी जाएंगी।
23. निविदा पोर्टल पर अब निविदादाता द्वारा निविदा जमा करने हेतु उपयोग किए गए IP एड्रेस को रिकॉर्ड (कैप्चर) किया जा रहा है और सिस्टम में प्रदर्शित भी किया जा रहा है। यदि प्रतिभागी निविदादाताओं का IP एड्रेस समान (कॉमन) पाया जाता है, तो ऐसे निविदादाताओं की निविदा को सीधे निरस्त (Reject) कर दिया जाएगा तथा ऐसी बिड्स को आगे की मूल्यांकन प्रक्रिया (Evaluation) में शामिल नहीं किया जाएगा।

भाग–2

ई–निविदा सह ई–नीलामी की तकनीकी विशिष्टतायें, शर्ते एवं प्रतिबन्ध

(Technical Specifications, Term and Conditions)

1. ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु अर्हतायेंः–

1) ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु नदीतल स्थित राजस्व/वन भूमि भूमि के 5.0 है0 तक के खनन पट्टे राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों एवं 5.0 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे भारत के नागरिक/नागरिकों की संमितियों/फर्म/कम्पनियों को स्वीकृत किये जायेंगे।

2. ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु निर्बन्धनः–

1) ऐसे व्यक्ति को नीलामी/निविदा/ई–निविदा/ई–निविदा सह ई–नीलामी की बोली बोलने या पट्टे के लिये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगीः–

   i. जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

   ii. जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया हो

   iii. जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त न किया हो।

   iv. जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

   v. जो व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी किसी भी राज्य में नियत तिथि (जिस तिथि को निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जायेगा) को ब्लैक लिस्टेड (Black Listed)/डिबार्ड (Debard) न हो, का शपथ पत्र निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रस्तुत न किया हो।

   vi. ऐसी फर्म एवं कम्पनी के मामले, जिसने पेन कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण, फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/मेमोरेण्डम ऑफ आर्टीकल (Memorandum of Article) की प्रति प्रस्तुत न की हो।

2) प्रतिभागी बोलीदाताओ द्वारा बोली की धनराशि उतनी ही बोली जायेगी जिसका वह भुगतान करने मे सक्षम हों, निविदा की कार्यवाही को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोली गयी उच्चतर धनराशि के अनुसार, उक्त धनराशि जमा न कराये जाने पर सम्बन्धित बोलीदाता के द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी (Earnest Money)को जब्त करते हुए सफल बोलीदाता को राज्य में खनन लॉटों की निविदाओं/खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा/भण्डारण अनुज्ञा/स्टोन क्रेशर अनुज्ञा/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा प्राप्ति हेतु 01 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिबन्धित करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।

3) व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी आदि को विभाग द्वारा खनन पट्टे की आंगणित अधिकतम आधार मूल्य (Base Price) के शत–प्रतिशत हैसियत के अनुरूप ही खनन पट्टा/पट्टे आवंटित किये जा सकेंगे यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत हैसियत उसके सफल हुये खनन पट्टों के आधार मूल्य से कम पायी जाती है तो सफल घोषित खनन पट्टे एवं अन्य सफल घोषित खनन पट्टों के लिए उसकी अर्हता समाप्त कर दी जायेगी।

3. ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रपत्र प्रारूप एवं शुल्क–

1) खनन **लॉट दुधौरी, लधिया नदी** हेतु ई–निविदा प्रपत्र एवं विवरण किसी भी कार्यदिवस में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, रायपुर–थानो रोड़, भोपालपानी, देहरादून से तथा राज्य सरकार की वेबसाईट uktenders.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट dgm.uk.gov.in से डाउनलोड कर भी प्राप्त किया जा सकता है, जिस हेतु रू0 20,000.00 (रू0 बीस हजार मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक 0853–00–800–01–01 में + उक्त धनराशि का 18% GST का डिमाण्ड ड्राफ्ट **निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय** के पक्ष में पृथक से जमा कराते हुए जमा चालान एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व मूल में निदेशालय में जमा कराई जानी आवश्यक होगी। निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने हेतु जमा चालान एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति तकनीकी निविदा (Technical Bid)के साथ भी अपलोड की जानी आवश्यक होगी। उक्तानुसार निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने हेतु जमा चालानकी मूल प्रति निदेशालय मे जमा न किये जाने की दशा मे ऐसे आवेदन तकनीकी रूप से ग्राह्य नही होंगे।

4. निविदित उपखनिज लॉट का विवरण–

क्र0 सं0	उपखनिज का नाम	विज्ञप्ति के अनुसार लॉट का क्रमांक	लॉट का विवरण							रायल्टी दर (रू0 प्रति टन)	प्रतिवर्ष निकासी हेतु आगणित उपखनिज की मात्रा (टन में)	आधार मूल्य की धनराशि (रू0 में)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य की धनराशि का 25 प्रतिशत)
			जनपद	तहसील	ग्राम	खसरा सं0	क्षेत्रफल (है0 में)	नदी का नाम	कोर्डिनेट				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आर0बी0 एम0	012	चम्पावत	चम्पावत	दुधौरी	खसरा संख्या 3925 रकवा 1.791 है0, खसरा संख्या 3981, रकवा 3.012 है0, कुल रकवा 4.803 है0 मध्ये 2.338 है0	2.338	लधिया नदी	$29^0$11' 56.3" $80^0$01'57.10"	80	126252	10100160	2525040

5. <u>तकनीकी निविदा (Technical Bid)के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न होगें–</u>

1) आवेदक का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण पत्र की प्रति तथा कॉपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति।

2) आवेदक का स्थायी निवास प्रमाण–पत्रकी प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति तथा कॉपरेटिव सोसाइटी/समिति के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का स्थायी निवास प्रमाण–पत्रकी प्रति।

3) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, समिति के मामलों में समिति के अध्यक्ष/सचिव का चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र एवं कम्पनी के मामले मे इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नही किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

4) आवेदक के पैनकार्ड की प्रति।

5) आवेदक के जी.एस.टी. नं0 की प्रति।

6) आवेदक के बैंक खाते का विवरण, जिससे ई–निविदा सह ई–नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक व शाखा का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा एक निरस्त चेक की प्रति।

7) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा प्रकाशन के उपरान्त निविदित लॉट हेतु जारी किया गया अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र। यदि आवेदक अपने गृह जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद में स्थित खनन लॉट हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी में प्रतिभाग करता है तो अपने गृह जनपद के साथ–साथ सम्बन्धित जनपद हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से जिस लॉट की निविदा में प्रतिभाग किया जाना है तो उक्त लॉट हेतु खनन अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

8) कोपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेज्यूलेशन के समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति। भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण, कम्पनी के मामले में आर्टिकल आफ एसोशियेशन की प्रति।

9) किसी भी राज्य मे खनन संक्रियाओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी रू0 100/– के ई–स्टाम्प पेपरपर नोटराईज्ड शपथ–पत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

10) आवेदक व उसके परिवार के विरूद्ध खनन देयता होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा। परिवार (आवेदक के माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, भाई, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन) के सदस्यों के विरूद्ध खनन अदेयता के सम्बन्ध में आवेदक के द्वारा रू0 100/– के ई–स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

11) निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने के सापेक्ष शुल्क रू0 20,000.00 (बीस हजार मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक 0853–00–800–01–01 में + उक्त धनराशि का 18% GST का डिमाण्ड ड्राफ्ट **निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय** के पक्ष में पृथक से जमा कराते हुए जमा चालान एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति।

12) निविदादाता के द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु वचनबद्धता (Undertaking) का प्रारूप रू0 100/– नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

13) निविदादाता ''निजी व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी'' के द्वारा विगत 03 वर्षों की आई0टी0आर0 की स्वप्रमाणित प्रति।

14) नदीतल खनन स्थित खनन लॉटों/खनन अनुज्ञा/स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के संचालन का अनुभव प्रमाण–पत्र जो कि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत हो की प्रति।

15) **ई–निविदा सह ई–नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु आवश्यक अन्य अभिलेख, शुल्क एवं धनराशि आदिः–**

i. **शुल्कः–**ई–निविदा सह ई–नीलामी में इच्छुक प्रतिभागी द्वारा नदीतल राजस्व/वन भूमि खनन लॉट हेतु आवेदन शुल्क 05 है0 तक रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) विभाग के निर्धारित लेखा शीर्षक **0853–00–107–01–01** में Online जमा कराते हुए जमा चालान की प्रति तकनीकी निविदा (Technical Bid)के साथ तथा मूल प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में जमा करायी जायेगी जिसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। निर्धारित शुल्क विज्ञप्ति में प्रकाशित खनन लॉटवार पृथक–पृथक जमा किया जाना होगा

ii. **धरोहर राशि (Earnest Money):–** किसी क्षेत्र के ई–नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने हेतु धरोहर राशि (Earnest Money)जमा करना अनिवार्य होगा, जो निविदित खनन लॉट के आधार मूल्य का 25 प्रतिशत होगी। धरोहर राशि (Earnest Money) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करायी जायेगी, जो निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम एक वर्ष (01 वर्ष) की अवधि हेतु बन्धक की जायेगी तथा उक्त की प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड की जायेगी तथा मूलप्रति तकनीकी निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि से पूर्व मुख्यालय, देहरादून में जमा करायी जानी आवश्यक होगी। धरोहर राशि (Earnest Money)की मूल प्रति निदेशालय, देहरादून मे जमा न किये जाने की दशा मे ऐसे आवेदन तकनीकी रूप से ग्राह्य नही होंगे।

आवेदक द्वारा धरोहर राशि (Earnest Money)के लिये स्वयं के खाते से ही एफ0डी0आर0 बनवायी जानी होगी। किसी उपखनिज लॉट के लिए विज्ञापन की पुनरावृत्ति होने पर धरोहर राशि के रूप में जमा एफ0डी0आर0 की वैधता की अवधि को अद्यतन किये जाने का दायित्व आवेदक का होगा। पूर्व में जमा एफ0डी0आर0 यदि कालातीत हो जाता है, तो ऐसा प्रतिभागी निविदाकार तत्समय प्रचलित ई निविदा प्रक्रिया हेतु वैध नही माने जायेंगे व ऐसे आवेदकों के आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा। तकनीकी निविदा मे सफल निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि के रूप मे जमा की गयी एफ0डी0आर0 निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।

iii. **हैसियत प्रमाण पत्रः–** जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गयी हैसियत प्रमाण पत्र या सम्पत्ति प्रमाण–पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण–पत्र (Solvency Certificate) जो आवेदित खनन लॉट के आधार मूल्य से कम न हो तथा फर्म/कम्पनी आदि की दशा में विगत तीन वर्षों की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट (Balance Sheet)की प्रति जिसका टर्नओवर या नेटवर्थ (Net worth) आधार मूल्य से कम न हो।

या

यदि हैसियत प्रमाण–पत्र अद्यतन न हो तो, इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण–पत्र की तिथि से अद्यतन) नीलामी

बोलीदाता के द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

या

हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य के बराबर की धनराशि का एफ0डी0आर0 (राष्ट्रीयकृत बैक से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि की वैधता हो) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के नाम बंधक होगे, जमा कराये जा सकेगे।

या

आवेदित खनन लॉट के आधार मूल्य से यदि हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि कम है तो उक्त धनराशि के बराबर की धनराशि का एफ.डी.आर. (राष्ट्रीयकृत बैक से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि की वैधता हो) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के नाम बंधक होगे, जमा कराये जा सकेगे।

6. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अपलोड करने तथा परिणाम घोषित किये जाने की प्रक्रियाः–

1. ई–निविदा सह ई–नीलामी के निविदादाताओं के द्वारा अपने Digital Signature Certificate (DSC) की सहायता से निविदित खनन लॉट की तकनीकी निविदा समस्त अभिलेखों सहित निविदादाता/अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर के साथ PDF Formatमें तैयार करwww.uktenders.gov.inअपलोडकी जायेगी तथा www.uktenders.gov.in से डाउनलोड की गयी वित्तीय निविदा के निर्धारित प्रारूपBOQ (Excel Format) में निविदादाता द्वारा संशोधन/प्रतिस्थापन नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कॉलम भरने के बाद www.uktenders.gov.in पर अपलोड किया जायेगा, अन्यथा निविदादाता वित्तीय निविदा के अस्वीकार किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा। निविदादाताओं को केवल निविदादाता का नाम और मूल्य दर्ज करने की अनुमति होगी।
2. गठित समिति के द्वारा निर्धारित तिथि को तकनीकी निविदा खोलते हुए उसका परीक्षण/मूल्यांकन किया जायेगा एंव तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की घोषणा सम्बन्धी परिणाम वेबसाईट www.uktender.gov.inपर प्रकाशित करते हुए वित्तीय निविदा (Financial Bid) खोलने की तिथि से सूचित किया जायेगा तथा उक्तानुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर वित्तीय निविदा (Financial Bid) खोलते हुए सफल निविदादाता H1 से H3 तक का परिणाम वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।

7. खनन लॉट के आवंटन की प्रक्रियाः–

1. वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एंव सफल बोलीदाओं (H1से H3तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा कें सफल बोलीदाताओं में एच–1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money)की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money)के रूप में पन्द्रह कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0–1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी (Earnest Money) की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध नियम–23(2) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच–2 बोलीदाता को एच–1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि(Earnest Money)की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money)के रूप में पन्द्रह कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटिक्रम में H3तक अपनाई जायेगी। एच–3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई–नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई–नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।
2. सफल बोलीदाता द्वारा निविदा में प्रस्तुत अभिलेखों एवं उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि, प्रतिभूति धनराशि (Security Money) जमा कराये जाने पर महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के द्वारा सम्बन्धित के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु नदीतल उपखनिज लॉटों हेतु 06 (छः)

माह की अवधि का "आशय पत्र **(Letter of Intent)**"निर्गत किया जायेगा। निर्धारित समयावधि में आशयपत्र की अनुपालना न किये जाने पर आशयपत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की अनुपालना में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में संतोषजनक कारण साक्ष्य सहित प्रस्तुत किये जाने पर आशय पत्र का अग्रेत्तर 06 माह की अवधि हेतु नवीनीकरण महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

परन्तु आशय पत्र धारक के द्वारा आशय पत्र की स्वीकृति से 02 वर्ष की अवधि तक आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों को पूर्ण न करने की दशा में सम्बन्धित आशय पत्र धारक से उच्चतम बोली का 05 प्रतिशत की धनराशि प्रतिवर्ष अतिरिक्त वसूल की जायेगी।

3. आशयपत्र धारक द्वारा विभाग में पंजीकृत आर0क्यू0पी0 से खनन योजना तैयार कराकर तथा शुल्क रू0 50,000/– निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिला खान अधिकारी द्वारा उक्त खनन योजना को परीक्षण व सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा तथा तद्नुसार निदेशक द्वारा सम्यक विचारोपरान्त खनन योजना का अनुमोदन किया जायेगा।
4. आशयपत्रधारक के द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance), स्वीकृत क्षेत्र के राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थिति होने की दशा में एन0बी0डब्ल्यू0एल0 (National Board of Wild Life) की अनुमति एवं वन भूमि होने पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी अनुमति (Forest Clearance)व मानक जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायें, प्राप्त की जायेगी।
5. शासन, मा0 न्यायालयों एंव मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
6. सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
7. आशयपत्र धारक के अलावा वित्तीय निविदा के अन्य प्रतिभागियों (जब्त शुदा को छोडकर) की प्री–बीड अर्नेस्ट मनी (Earnest Money)वापिस कर दी जायेगी।
8. आशयपत्र में उल्लिखित समस्त अपैचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त आशयपत्रधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यालय में जमा कराया जायेगा तथा महानिदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय की ऑनलाइन/ऑफलाइन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा।
9. अन्य मानक व शर्ते, जो राज्य सकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय, लागू होंगी।

8. <u>पट्टा विलेख का निष्पादनः–</u>

1. राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति संबंधी आदेश जारी होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा विलेख निष्पादन से पूर्व वार्षिक नीलामी पट्टा धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष पूर्व में प्रतिभूति धनराशि (Security Money)के रूप में जमा एफ0डी0आर0 को विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में वार्षिक पट्टा धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा। नदीतल अवस्थित उपखनिजों के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा जिला उपनिबन्धक द्वारा सूचित स्टाम्प शुल्क के आधार पर पट्टाविलेख निर्धारित प्रारूप प्रपत्र एम0एम0–6 में निष्पादित किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद के जिला उपनिबन्धक अधिकारी से कराया जायेगा। पट्टाविलेख के पंजीकरण के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उसकी एक–एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून, संबंधित जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

2. **पट्टे की अवधि की संगणनाः–** स्वीकृत खनन/चुगान पट्टों की पट्टावधि की संगणना पट्टा विलेख निष्पादन के उपरान्त पंजीकरण की तिथि से नदीतल स्थित राजस्व/वन भूमि में अवस्थित उपखनिजों के खनन पट्टों हेतु अग्रेत्तर 05 वर्ष की अवधि एवं 05 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन पट्टे 10 वर्ष की अवधि के लिये की जायेगी।

9. खनन पट्टे की शर्तेः–

1. राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पट्टेदार खनन संक्रियाओं के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायुक्त नही करेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।
2. सिवाय उस दशा मे जब राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यथा अनुमति दे, पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन व उपनिबन्धक द्वारा विलेख के निबन्धन के दिनांक से एक माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ और तत्पश्चात जानबूझकर आंतरायनिक (इंटरमिशन) किये बिना ऐसी संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्व रीति से तथा कुशल कारीगर की भांति करेगा।
3. नदीतल उपखनिज लॉट के खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें, निदेशक द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्यौरा होगा, की जायेगी।
4. खनन योजना भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में पंजीकृत आर0क्यू0पी0(Registered Qualified Person)द्वारा तैयार की जायेगी।
5. पट्टेदार आर0क्यू0पी0 द्वारा तैयार किये गये खनन योजना की प्रति अनुमोदन हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा खनन योजना का परीक्षण एवं सत्यापन किये जाने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर निदेशक को प्रेषित की जायेगी, निदेशक के द्वारा खनन योजना की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर उसे अनुमोदित कर सकता है, उपान्तरित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। खनन योजना अनुमोदन हेतु शुल्क रू0 50,000/– देय होगा जो कि निर्धारित विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
6. Registered Qualified Person (RQP) के द्वारा खनन योजना में निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एंव पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संक्रियायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स का वर्णन व जियोरैफरेनस्ड खसरा मानचित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित यथा स्थिति राजस्व भूमि व वन भूमि का क्षेत्रफल वार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त खनन योजना में पांच सौ मीटर की परिधि में आने वाले सभी स्वीकृत खनन लॉटों, सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाईट मानचित्र संलग्न करना होगा जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित हो तथा नदी के दोनों किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिन्हित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलिखित होंगे व बडे खनन लॉटों की दशा में प्रत्येक सौ मीटर की दूरी पर डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेटस अंकित किये जाने होंगे। राजस्व एंव सैटेलाईट मानिचत्र पर यथास्थिति राजस्व, वन भूमि एंव निजी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना होगा। समस्त मानचित्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।
7. पट्टेदार पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन के पश्चात और पट्टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व, अपने स्वयं के व्यय पर ऐसा सीमा चिन्ह और खम्भे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक हो और उनका सदैव अनुरक्षण करेगा और अच्छी दशा में रखेगा तथा प्रत्येक वर्षाकाल के उपरान्त क्षतिग्रस्त सीमास्तम्भों को पुनः स्थापित करेगा।
8. प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना न तो किसी आरक्षित (reserved)सुरक्षित या निहित वन में प्रवेश किया जायेगा और न ही उक्त अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बिना और न ऐसी शर्तो के विपरित जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे, किसी इमारती लकड़ी या वृक्षो को गिराया, काटा या उनका उपयोग किया जायेगा।

9. पट्टेदार के द्वारा नदी तल में स्वीकृत खनन लॉट में खनन/चुगान कार्य सतह से अधिकतम 03 मी0 की गहराई तक अथवा भू–जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

10. खनिजों का ठीक–ठीक लेखा रखना :–

पट्टेदार खनिजों का ठीक–ठीक लेखा रखेगा, जिसमे वह खान (Mine) से प्राप्त तथा भेजे गये सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण देगा और साथ ही परिवहन की प्रणाली वाहन का निबन्ध (रजिस्ट्रेशन) संख्या, वाहन या पशु का प्रभारी व्यक्ति तथा ढोये गये खनिज का प्रकार और मात्रा, खनिज की सभी बिक्री के मूल्य तथा समस्त अन्य विवरण, उसमें सेवा युक्त व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता तथा खान के पूरे नक्शे देगा, और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी समय उसके (पट्टेदार) द्वारा रखे गये किन्ही लेखों, नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुमति देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार को ऐसी समस्त सूचना तथा विवरणियां देगा जो केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा उसमें से किसी के द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करे।

11. अग्रक्रयाधिकार (हकशक) :–

(1) राज्य सरकार को सदा ऐसी भूमि, जिसके सम्बन्ध में पट्टा दिया गया हो, से लब्ध खनिजों या खनिजों के उत्पादन का अग्रक्रयाधिकार (right of pre-emption) होगा, जिस मूल्य का भुगतान किया जायेगा वह अग्रक्रयाधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य होगा।

(2) उक्त मूल्य निकालने में सहायकता देने के लिये पट्टेदार यदि उस से ऐसी अपेक्षा की जाय तो राज्य सरकार को उसकी गोपनीय सूचना के लिये अन्य ग्राहको को बेचे गये ऐसे खनिजों या उनके उत्पादनों तथा उन्हे ढोने के लिये अधिकतर पत्रों का विवरण और मूल्य प्रस्तुत करेगा।

12. सभी दावों के विरूद्व पट्टेदार सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा :–

पट्टेदार सभी हानि, या विक्षेप के लिये, जो पट्टे द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने मे उसके द्वारा की गयी हो, भुगतान करने की प्रत्याभूति (guarantee) देगा और ऐसे समुचित प्रतिकर का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये और उन सभी दावों, वादों तथा मांगों और उनके प्रति जो किसी ऐसी हानि, क्षति या विक्षोभ के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों द्वारा की जायेगी या लायी जाये और उनके सम्बन्ध में सभी परिव्ययों की राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा पूर्णतया क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

13. पट्टाधारक के द्वारा चुगान/खनन पट्टा क्षेत्र के प्रवेश एवं निकासी गेटों पर कम्प्यूट्राईज्ड धर्मकांटा एवं वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वंय के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकाडिंग के योग्य आधुनिक आई0पी0 बेस्ड सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0 आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा जिससे सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बारकोड का डाटा पडने व सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकाडिंग को उपलब्ध करायेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त के अनुपालन के सम्बन्ध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।

14. पट्टेदार/अनुज्ञापत्र धारक के द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के प्रवेश/निकासी गेट पर स्वीकृत खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा पट्टाधारक का नाम एंव पता, सम्पर्क/दूरभाष नम्बर, स्वीकृत क्षेत्रफल, स्वीकृति आदेश की संख्या एवं दिनांक, स्वीकृत पट्टावधि, खनिज का प्रकार, प्रतिवर्ष निकासी की स्वीकृत मात्रा एवं खनिमुख पर खनिज के विक्रय मूल्य की दर को प्रदर्शित करेगा।

15. पट्टाधारक के द्वारा खन्न पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रियाओं हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एवं Consent to operate की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
16. सार्वजनिक स्थल, नदी पर निर्मित पुल, नदी के किनारों आदि से सुरक्षित दूरीः– राज्य के वन नदी क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़कर तथा राजस्व/वन भूमि के नदीतल उपखनिज लॉटों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से 15–15 प्रतिशत भाग अथवा न्यूनतम 10 मी0 छोड़कर उपखनिज का चुगान कार्य किया जायेगा।
17. शमशान, सार्वजनिक स्थल आदि से 50 मी0 की दूरी तथा नदी पुल के अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में 100 मी0 की दूरी तक अथवा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित दूरी के अन्तर्गत चुगान कार्य प्रतिबंधित होगा।
18. चुगान पट्टा क्षेत्रों से निकासी किये गये उपखनिज की मात्रा का आंगणन आयतन (Volume) में न करके भार (Weight)के अनुसार किया जायेगा।
19. चुगान पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनो का पंजीकरण भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में कराया जाना अनिवार्य होगा, जिस हेतु यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई शुल्क निर्धारित किया जाता है तो, वह वाहन स्वामी के द्वारा देय होगा।
20. प्रत्येक पट्टाधारक को चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपद स्तरीय कार्यालयों में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
21. नदी तल उपखनिज लॉटों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड, सैक्शन मशीन, लिफटर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नही किया जायेगा। परन्तु विशेष परिस्थतियों में जैसे पहुंच मार्ग का निर्माण किये जाने, क्षेत्र में बडे आकार के बोल्डर को हटाने, पट्टा क्षेत्र में फंसे वाहनों को निकालने आदि की दशा मे अनुमति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त प्रदान की जायेगी।
22. पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एंव शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (DMF) आदि अन्य शुल्क नियमानुसार जमा किया जायेगा।
23. पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों का विदोहन/परिवहन सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य करेगा।
24. आवेदक के पक्ष में खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) व खनन पट्टा के शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उक्त खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) व खनन पट्टा के शासनादेश आवेदनकर्ता के विधिक वारिस को सक्षम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा उक्त आवेदन हेतु इच्छुक होने का नोटराईज्ड अनुरोध शपथ पत्र निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत आशय पत्र/शासनादेश को निरस्त कर आवेदित क्षेत्र को रिक्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
25. उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2023 के नियम–58 (2) के अनुसार इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिना उपनियम (1) के अधीन सूचना की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक स्वामित्व, सीमाकन शुल्क ओर किन्ही अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है।

26. अनधिकृत खनन के लिये शक्तिः–

i. जो कोई भी उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2023 के नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्व हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनित खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का 02 (दो) गुना तथा तत्पश्चात् रॉयल्टी का 03 (तीन) गुना तक के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।

ii. अवैध खनन की पुष्टि होने पर निदेशालय को सम्बन्धित पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक/भण्डारणकर्ता आदि का ई–रवन्ना पोर्टल को लिखित सूचना देने के उपरान्त निलम्बित (Suspend) करने एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

27. सामान्यता नियमों और पट्टे की शर्तो के उल्लंघन का परिणाम :–

(1) पट्टेदार द्वारा नियमों या पट्टे में दी गई समझी जाने वाली शर्तो और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से सम्बन्धित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताते का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम 59 के उपबंन्धों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

(2) यदि उप नियम (1) के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का नाम निदेशक,भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा पांच वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा उचित समझा जायें काली सूची में डाल दिया जायेगा और ऐसी अवधि के दौरान उसके इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार स्वीकृत नही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में, यथास्थिति, खनन पट्टे के रजिस्टर में या ई–नीलामी रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

28. नदीतल स्वीकृत उपखनिज लॉटों हेतु खनन सत्र वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर से 30 जून तक की अवधि होगी।

29. खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन :–

1) खनिजों के परिवहन हेतु पट्टाधारक को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
2) खनन पट्टाधारक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी गाडी, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उपखनिज का परिषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0 11 में पास जारी करेगा।
3) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल को छोडकर, पशु, गाडी या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा कोई उपखनिज उपनियम (1) के अधीन ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0 11 में तथा राज्य के बाहर ई–रवन्ना प्रपत्र–11 ''ओ एस'' में जारी पास के बिना नही ले जायेगा।
4) किसी उपखनिज को ले जाने वाला व्यक्ति, नियम 66 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त ''पास'' को ऐसे अधिकारी को दिखायेगा और उसे उप खनिज की मात्रा के संदर्भ में ''पास'' के विवरणों की शुद्वता को सत्यापित करने देगा।
5) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु खनन पट्टा में सम्मिलित किसी क्षेत्र के लिये जांच चौकी (चेक पोस्ट)/मोबाईल चैक पोस्ट स्थापित कर सकता है और जब ऐसी जांच चौकी स्थापित कर दी जाय तो इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना गजट में प्रकाशित करके और ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी, जैसा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उपयुक्त समझे।
6) कोई व्यक्ति, ऐसे उपखनिज का, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, परिवहन ऐसे क्षेत्र से उस क्षेत्र के लिये स्थापित जांच चौकी पर खनिज के प्रकार या माप के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये बिना नही करेगां।
7) खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
8) कोई व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में यह पाया जाय कि उसने इस नियम का उल्लंघन किया है, दोष सिद्व हो जाने पर अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो **दो लाख** रूपये तक हो सकता है।
9) अवैध परिवहन या ई–रवन्ना प्रपत्रों का दुरूपयोग पाये जाने पर निदेशालय को सम्बन्धित पट्टाधारक का ई–रवन्ना पोर्टल बिना पूर्व सूचना के अस्थाई रूप से निलम्बित (Suspend) करने एवं नियमानुसार अन्य कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

30. पट्टाधारक द्वारा खान एंव खनिज विकास एंव विनियमन अधिनियम 1957 (समय–समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023, मा0 न्यायालयों एंव राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

31. ई–नीलामी की प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख इस निविदा प्रपत्र में वर्णित किया जाना रहा गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो अथवा ऐसा समसामयिक प्रकरण जो खनिज विकास एंव राजस्व हित में आवश्यक हो ऐसे प्रकरणों पर महानिदेशक/निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के द्वारा तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों/अनुदेशों का अनुसरण कर व्याख्यापित करते हुए निर्णय दिया जा सकेगा, महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा एंव सर्व पक्षों को मान्य होगा।

32. यदि राज्य सरकार के द्वारा नियमावली के नियम 18 की प्रथम अनुसूची की दरों को पुर्ननिर्धारित किया जाता है तो पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों की पट्टाधनराशि में उसी अनुपात में वृद्धि होगी।

निदेशक,
भूतत्व एवंखनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

भाग–3
तकनीकी निविदा प्रपत्र
चैक लिस्ट

प्रतिभागी निविदादाताओं के द्वारा तकनीकी निविदा के सम्बन्ध में ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रपत्र के भाग–2के अनुसारनिविदा प्रपत्र शुल्क, आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि एवं अन्य वांछित अभिलेख आदि तकनीकी निविदा के साथ निम्नानुसार उपलब्ध करायी जायेगीः–

क्र0 सं0	विवरण	भरी जाने वाली सूचना	संलग्नक संख्या
1	आवेदक का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का Director Identification Number (DIN)के प्रमाण पत्र की प्रति तथा कॉपरेटिव सोसाइटी/समिति के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति।		
2	आवेदक का स्थायी निवास प्रमाण–पत्रकी प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति तथा कॉपरेटिव सोसाइटी/समिति के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का स्थायी निवास प्रमाण–पत्रकी प्रति।		
3	आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, समिति के मामलों में समिति के अध्यक्ष/सचिव का चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र एवं कम्पनी के मामले मे इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नही किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।		
4	आवेदक के पैनकार्ड की प्रति।		
5	आवेदक के जी.एस.टी. नं0 की प्रति।		
6	आवेदक के बैंक खाते का विवरण, जिससे ई–निविदा सह ई–नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक व शाखा नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा एक निरस्त चेक की प्रति।		
7	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा प्रकाशन के उपरान्त निविदित लॉट हेतु जारी किया गया अद्यतन खनन अदेयता प्रमाण पत्र। यदि आवेदक अपने गृह जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद में स्थित खनन लॉट हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी में प्रतिभाग करता है तो अपने गृह जनपद के साथ–साथ सम्बन्धित जनपद हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से जिस लॉट की निविदा में प्रतिभाग किया जाना है तो उक्त लॉट हेतु खनन अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।		
8	कोपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेज्यूलेशन के समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति। भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण की प्रति, कम्पनी के मामले में आर्टिकल आफ एसोशियेशन की प्रति।		
9	किसी भी राज्य मे खनन संक्रियाओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी रू0 100/– के ई–स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति।		
10	आवेदक व उसके परिवार के विरूद्ध खनन देयता होने पर आवेदन अस्वीकार कर		

	दिया जायेगा। परिवार (आवेदक के माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, भाई, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन) के सदस्यों के विरूद्ध खनन बकाया न होने के सम्बन्ध में आवेदक के द्वारा रू0 100/– के ई–स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ–पत्र की प्रति।		
11	निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने के सापेक्ष शुल्क रू0 20,000.00 (बीस हजार मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक 0853–00–800–01–01 में + उक्त धनराशि का 18% GST का डिमाण्ड ड्राफ्ट **निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय** के पक्ष में पृथक से जमा चालान एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति		
12	निविदादाता के द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु वचनबद्धता (Undertaking) का प्रारूप रू0 100/– के ई–स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति।		
13	निविदादाता ''निजी व्यक्ति/फर्म/समिति/कम्पनी/सोसाइटी'' के द्वारा विगत 03 वर्षों की आई0टी0आर0 की स्वप्रमाणित प्रति।		
14	ई–निविदा सह ई–नीलामी में इच्छुक प्रतिभागी द्वारा नदीतल राजस्व/वन भूमि खनन लॉट हेतु आवेदन शुल्क 05 है0 तक रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) विभाग के निर्धारित लेखा शीर्षक **0853–00–107–01–01** में Online जमा चालान की प्रति।		
15	निविदित खनन लॉट के आधार मूल्य के 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि,धरोहर राशि (Earnest Money)के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम एक वर्ष (01 वर्ष) की अवधि हेतु बन्धक हो की प्रति।		
16	जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गयी हैसियत प्रमाण पत्र या सम्पत्ति प्रमाण–पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण–पत्र (Solvency Certificate)जो आवेदित खनन लॉट के आधार मूल्य से कम न हो, तथा फर्म/कम्पनी आदि की दशा में विगत तीन वर्षों की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट (Balance Sheet) की प्रति जिसका टर्नओवर या नेटवर्थ (Net worth) आधार मूल्य से कम न हो। **या** यदि हैसियत प्रमाण–पत्र अद्यतन न हो तो, इस शर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण–पत्र की तिथि से अद्यतन) नीलामी बोलीदाता के द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है। **या** हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य के बराबर की धनराशि का एफ0डी0आर0 (राष्ट्रीयकृत बैक से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि की वैधता हो) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के नाम बंधक होगे, जमा कराये जा सकेगे। **या** आवेदित खनन लॉट के आधार मूल्य से यदि हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि कम है तो उक्त धनराशि के बराबर की धनराशि का एफ.डी.आर. (राष्ट्रीयकृत बैक से बने हो, न्यूनतम छः माह की अवधि की वैधता हो) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के नाम बंधक होगे, जमा कराये जा सकेगे।		

निविदादाता/निविदादाताओं के हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम)

भाग–4

वित्तीय निविदा का प्रारूप

निविदादाता द्वारा www.uktenders.gov.inसे वित्तीय निविदा का प्रारूप BOQ (Excel Format) डाउनलोड किया जायेगा। निविदाताओं के द्वारा निविदित उपखनिज खनन लॉट की ई–निविदा सह ई–नीलामी के लिये निर्धारित आधार मूल्य (Base Price) से अधिक अपनी अधिकतम बोली BOQ में दर्ज की जायेगी। निविदादाता द्वारा BOQमें संशोधन/प्रतिस्थापन नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कॉलम भरने के बाद www.uktenders.gov.inपर अपलोड किया जायेगा, अन्यथा निविदादाता वित्तीय निविदा के अस्वीकार किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा। BOQमें निविदादाताओं को केवल निविदादाता का नाम और अधिकतम बोली दर्ज करने की अनुमति होगी। वित्तीय निविदा के BOQका प्रारूप में निम्ननुसार होगाः–

Validate Print Help

Item Wise BOQ

Tender Inviting Authority:

Name of Work:

Contract No:

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :	

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	TEXT #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER	NUMBER	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Lot Name	Lot Number	Area	Quantity of Mineral (in Ton)	Rate of Royalty (Rs. Per Ton)	Base Price of Mining Lot (in Rs.)	Max. Price in Figures to be entered by Bidder (in Rs.) (Should not be less than Base Price)	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								INR Zero Only
Quoted Rate in Words			INR Zero Only					

भाग–5

ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु वचनबद्धता (Undertaking) का प्रारूप

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
रायपुर थानो रोड़, भोपालपानी, देहरादून।

महोदय,

मैं/हम इस शपथ–पत्र के माध्यम से वचन देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदित उपखनिज लॉट हेतु जारी ई–निविदा सह ई–नीलामी सम्बन्धी समस्त अभिलेखों यथा निविदादाताओं हेतु निर्देश, शर्ते एवं प्रतिबन्ध, विशिष्टितायें एवं अन्य संदर्भ आदि का भली–भॉति अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात मेरे/हमारे द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रपत्र के भाग–3 में अपेक्षित समस्त अभिलेखों के सभी पृष्ठों को स्वः हस्ताक्षरित/हस्ताक्षरित (मोहर सहित) ई–निविदा के रूप में अपलोड कर दिया गया है।

यदि मेरे/हमारे पक्ष में ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से मेरे/हमारे द्वारा निविदित उपखनिज लॉट आंवटित/स्वीकृत किया जाता है तो, मै/हम उक्त निविदित उपखनिज लॉट के सम्बन्ध में जारी इस निविदा प्रपत्र, उपखनिज परिहार नियमावली–2023, आशय पत्र, खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश, पट्टाविलेख एवं उक्त के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी होने वाले दिशा–निर्देशों/शासानादेशों/मा0 न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन करेंगे।

यदि मेरे/हमारे द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में कोई भी अपूर्ण सूचना/अभिलेख दिये जाते हैं या कोई तथ्य छुपाया जाता है तो इस हेतु मै/हम स्वंय उत्तरदायी होगें तथा इस सम्बन्ध में महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड का निर्णय अंतिम/मान्य होगा।

दिनांक :

निविदादाता
व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी/सोसाइटी के
अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मोहर सहित